कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत।

पत्रांकः /निविदा–वाहनचालक/2017–18 दिनांक– 08.05.2017

–ःनिविदा सूचनाः–

पशुपालन विभाग जनपद बागपत में के 04 विकास खण्डस्तरीय पशु चिकित्सालयों पर वित्तीय वर्ष 2017–18 अथवा अग्रिम आदेशों तक बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा इकाईयों के वाहनों के परिचालन हेतु आऊटसोर्सिंग के माध्यम से चालकों की व्यवस्था एवं उनके पारिश्रमिक दरों के निर्धारण हेतु सर्विस प्रदाता फर्मों/एजेन्सियों से निम्न नियमों/शर्तों के अधीन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

नियम/शर्तें

1. नियम/शर्तों सहित निविदा प्रपत्र दिनांक 30.05.2017 तक निर्धारित शुल्क रू0 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) जमा करने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से क्रय अथवा जनपदीय वेबसाईट http://baghpat.nic.in से डाऊनलोड (निविदा जमा करते समय रूपये 500/– ट्रेजरी चालान) किया जा सकता है। निविदा हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकित की जा सकती हैं।
2. फर्म/संस्था पी0पी0एफ0 एक्ट, ई0एस0आई0 एक्ट, शाप एवं स्टैबलिशमैन्ट एक्ट तथा लेबर एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए।
3. फर्म/संस्था को राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मानव संसाधन हेतु नियोजक एजेंसी/मैनपावर आऊटसोर्सिंग के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा विगत 3 वर्षों में प्रगामी न्यूनतम 50 मैनपावर के नियोजन एवं विभिन्न मैनपावर उपलब्ध कराये जाने तथ रूपये 50 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है। फर्म/संस्था देश में ब्लैक लिस्ट न हो।
4. पूर्ण भरा हुआ निविदा प्रपत्र दिनांक 30.05.2017 के पूर्वान्ह 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा होंगे जो अपरान्ह 2:00 बजे निर्धारित समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
5. निविदा तिथि के उपरान्त कोई निविदा प्राप्त नही की जायेगी। डाक अथवा अन्य माध्यम द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
6. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न करने की दशा में बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

(डा0 राजपाल सिंह)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत।

पत्रांकः /निविदा–वाहनचालक/2017–18 दिनांक– 08.05.2017

प्रतिलिपिः–दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण/नवभारत टाईम्स को इस आशय से कि आप उक्त निविदा सूचना न्यूनतम स्पेश में प्रकाशित कर बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
बागपत।

बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा–प्रपत्र

पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, भावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत–प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण, मेडिको लीगल केसेस, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप के साथ–साथ कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को समस्त विभागीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजना प्रारम्भ की गयी है। बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें अन्तर्गत जनपद **बागपत** में **04** विकास खण्ड स्तर पर बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा इकाईयों के वाहनों को वर्ष 2017–18 में परिचालन के लिये आऊट सोर्सिंग के माध्यम से चालकों की व्यवस्था एवं उनके पारिश्रमिक दरों के निर्धारण हेतु सर्विस प्रदाता फर्मों/एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित की गई है।

2–निविदा प्रक्रिया

1. निविदा प्रपत्र मुख्य विकास अधिकारी, जनपद बागपत की वेबसाइट http://baghpat.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र दो भागों में निर्धारित प्रारूपों क्रमशः **(अ)**–तकनीकी बिड् एवं **(ब)**–वित्तीय बिड् पर आधारित होगी। दोनों बिड् अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफे में निविदा के साथ जमा करना होगा। साथ ही इन निविदाओं के लिफाफे पर क्रमशः ßतकनीकी निविदाß एवं ßवित्तीय निविदाß अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इन दोनों निविदा प्रपत्रों को बडे लिफाफे जिस पर ß बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा–प्रपत्रß अंकित हो, में रखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करना अनिवार्य होगा।

   तकनीकी निविदा के लिफाफे में निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की रसीद एवं डाउनलोड किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में **रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट तथा अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत के पक्ष में एवं जनपद बागपत में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

3. असफल निविदादाताओं को अर्नेस्ट मनी की धनराशि 03 माह के भीतर/निविदा पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। सफल निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी की धनराशि सिक्योरिटी डिपाजिट के अंश के रूप में समायोजित की जायेगी।

4. निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव निविदा प्राप्त करने की तिथि से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। तकनीकी निविदा (भाग–1) में उल्लिखित समस्त प्रपत्रों की सवप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जाएं। फर्म के अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त प्रपत्र सुचारू रूप से मुहर सहित हस्ताक्षरित होने चाहिए। साथ ही इन पर जेज संख्या, स्थान एवं सूचीबद्ध किया जाना अनिवार्य है। यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा प्रस्ताव में अंकित सूचनायें एवं संलग्नक तकनीकी निविदा में अंकित सूचनायें एवं वांछित संलग्नकों से भिन्न पायी जाती है या नही पायी जाती है तो, ऐसी निविदायें नॉन रिस्पोन्सिव (Non Responsive) समझी जायेंगीं।
6. निविदादाता समय से निविदा जमा करना सुनिश्चित करें।
7. निविदा अभिलेख में दी गयी निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें निविदादाता को स्वीकार करनी होगी। नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन स्वीकार नही होगा और सशर्त ऑफर पर कोई विचार नही किया जायेगा।
8. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत के पास अधिकारी सुरक्षित हैं कि–

   (अ) सफल निविदादाताओं द्वारा किसी स्तर पर गलत सूचना/गुमराह/अस्वीकृति या प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपालन न करने की स्थिति में प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपालन न करने की स्थिति में प्रस्ताव/अनुबन्ध या लेटर ऑफ इन्टेंट या एग्रीमेन्ट को निरस्त कर दें।

   (ब) आवश्यक समझे जाने पर निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण या किये गये अभिलेखों का सत्यापन कर सकता है।

   (स) बिना कारण बतायें दर स्वीकृत होने से पूर्व/पश्चात किसी भी प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है।

   (द) यदि यह पता चलता है कि निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट, फर्जी या अन्य गैर कानूनी कृत्यों में लिप्त है तो वह ऐसे निविदादाता के प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है एवं भविष्य के लिए निविदादाता को काली सूची में डालने की कार्यवाही कर सकता है।

3— निविदा प्रपत्र का मूल्य

निविदा प्रपत्र के विक्रय की अन्तिम तिथि एक संबंधित निविदा प्रपत्र (नियम/शर्ते एवं विकास खण्ड की सूची सहित) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जनपद बापगत के कार्यालय से उक्त समयावधि के अन्तर्गत किसी भी कार्य दिवस में प्रति निविदा प्रपत्र रू0 500/— (रू0 पांच सौ मात्र) का नकद भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र की स्थिति में प्रति निविदा प्रपत्र रू0 500/— (रू0 पांच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जनपद बागपत के पक्ष में एवं जनपद बागपत में देय हो, निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापस नही किया जायेगा, जिसके अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

4— जमानत की धनराषि

सफल निविदादाता को जमानत के रूप में कान्ट्रेक्ट मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा करनी होगी, जिसमें पूर्व में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। जमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। सफल निविदादाता को दर स्वीकृति की सूचना दिये जाने के 15 दिन के भीतर एक अनुबन्ध मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित फार्मेट पर करना होगा तथा साथ में जमानत की धनराशि जमा करना अनिवार्य है। जमानत की धनराशि मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत के पक्ष में बन्धक होगी। एफ.डी.आर. की वैधता अनुबन्ध अवधि के तीन माह बाद तक होगी। अनुबन्ध अवधि के विस्तार की दशा में इसकी वैधता में विस्तार कराना आवश्यक होगा। विफल होने की स्थिति में स्वीकृति पत्र निरस्त समझा जायेगा और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत के पास अधिकार होगा कि वह संस्था/कम्पनी के विरूद्ध वर्तमान कान्ट्रेक्ट के सापेक्ष अनुबन्धित एजेंसी/कम्पनी के ऊपर देय धनराशि को काट कर जमानत की धनराशि का भुगतान करेगा। यदि निविदादाता द्वारा जमानत की धनराशि एफ.डी.आर. के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में जमा की जाती है तो निविदादाता अयोग्य (Disqualified) घोषित कर दिया जायेगा एवं निविदा नॉन रिस्पोन्सिव (Non Responsive) मानते हुये अस्वीकार कर दी जायेगी।

5— अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ई0एम0डी0)

अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंकड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत के पक्ष में एवं जनपद बागपत में देय हो, के रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6— पात्रता की शर्तें

(अ) तकनीकी बिड् (भाग—1)

निविदादाता को निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करना अनिवार्य है। अन्यथा स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेंगीः—

1. फर्म / संस्था को नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है (पंजीकरण का साक्ष्य, यथा इन्कारोरेशन प्रमाण—पत्र संस्था की नियमावली आदि की प्रति संलग्न करें।)

2. फर्म / संस्था को राज्य / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मानव संसाधन हेतु नियोजक एजेंसी के रूप में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव का प्रमाण देना होगा।

3. विगत 03 वर्षों में जनपद / विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक वर्ष में प्रगामी न्यूनतम 50 मैनपावर के नियोजन एवं विविध प्रकार के मैनपावर उपलब्ध कराये जाने का एजेंसी को अनुभव होना अनिवार्य है।(साक्ष्य संलग्न करें।)

4. फर्म / संस्था का विगत 03 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014—15, वित्तीय वर्ष 2015—16, वित्तीय वर्ष 2016—17 संदर्भित वर्षों के आडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेंट की प्रति संलग्न करें) में न्यूनतम कुल टर्नओवर रू0 50.00 लाख प्रति वर्ष का होना अनिवार्य है। सी0ए0 द्वारा टर्नओवर की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।

5. निविदादाता को प्रोविडेन्ट फंड एक्ट, ई0एस0आई0 एक्ट, लेबर एक्ट, शॉप एण्ड स्टेबलिशमेन्ट एक्ट (सम्बन्धित छायाप्रति संलग्न करें) के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

6. निविदादाता को राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विगत 03 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष 50 मैनपावर उपलब्ध कराने विषयक कम से कम एक अथवा एक से अधिक आदेशों के सफलतापूर्वक अनुबंध निस्पादित करने विषयक प्रमाण संलग्न करना होगा।

7. फर्म को पी0एफ0 / ई0एस0आई0 में पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं इसके अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में न्यूनतम 50 कार्मिकों का फर्म द्वारा संदर्भित धनराशि जमा कराया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में प्रमाण—पत्र एवं भुगतान की गयी रसीद की प्रति संलग्न की जाए।

8. फर्म को आयकर एवं सम्बन्धित सेवा के लिये सेवाकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पैन कार्ड एवं सर्विस टैक्स पंजीकरण की प्रति संलग्न करें।)

9. फर्म/संस्था द्वारा इस आशय का शपथ/घोषणा पत्र रू0 100/– के नान जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा कि यदि फर्म द्वारा अनुबन्ध अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश या इसके बाहर इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिये वित्तीय बिड् में उसके द्वारा निविदित दर से कम दर पर किसी अन्य संस्था के अनुबन्ध करना है तो तत्काल इसकी सूचना पशुपालन विभाग को देगा एवं उपरोक्त कम दर के अनुरूप ही वित्तीय बिड् में निविदित एवं अनुमोदित दर में स्वतः पशुपालन विभाग द्वारा देय धनराशि में कटौती कर ली जाये। इस पर फर्म/संस्था को कोई आपत्ति नही होगी।

10. फर्म/संस्था राज्य अथवा देश में ब्लैक लिस्टेड नही होनी चाहिए।

(ब) वित्तीय बिड् (भाग–2)

1. निविदादाता को मजदूरी एवं अन्य शुल्क यथा सी0टी0सी0 के कर, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग लागू नियम और अन्य संबंधित नियम के अन्तर्गत लागू हों तो उसे वित्तीय बिड् के प्रारूप में निविदित करना होगा।
2. अन्तिम कुल मूल्य/लागत के आधार पर न्यूनतम (एल–1) को अनुमोदन हेतु विचार किया जायेगा। जो वर्तमान बाजार दर के अनुरूप होनी चाहिये।
3. वित्तीय बिड् में सशर्त बिड् मान्य नही होगी एवं अतिरिक्त शर्तों की दशा में बिड् को निरस्त कर दिया जायेगा। निर्धारित प्रपत्र में केवल दरों का ही उल्लेख किया जायेगा।

7. आउट सोर्सिंग एजेंसी से मैनपावर की आपूर्ति हेतु कार्यक्षेत्र, नियम एवं शर्तेः

आउट सोर्सिंग फर्म/संस्था को निम्नलिखित नियमों/शर्तों का पालन करना होगाः–

1. फर्म/संस्था द्वारा नियोजित समस्त वाहन चालकों का पूर्ण बायोडाटा यथा–पहचान–पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रमाणित छायाप्रति एवं अद्यतन प्रमाणित फोटोग्राफ मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत को उपलब्ध करानी होगी।
2. मौखिक/लिखित/ई–मेल द्वारा यदि किसी वाहन चालक के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत यथा, **क–** कार्यशैली अथवा सत्यनिष्ठा, **ख–** 07 दिनों से अधिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, **ग–** कार्यालय द्वारा मौखिक/लिखित दिये गये आदेशों की अवहेलना करना, **घ–** कार्य करने से मना करना, **च–** बिना किसी कारण के स्थान परिवर्तन के लिये अनुरोध करने की दशा में उक्त नियोजित वाहन चालक को तत्काल बदलना होगा।
3. वाहन चालक हेतु किसी प्रकार के लाइसेन्स, परमिट सहमति एवं स्वीकृति आदि की आवश्यकता अथवा मांग स्थानीय/अन्य अथारिटी के द्वारा किये जाने पर एजेंसी द्वारा स्वयं व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये पशुपालन विभाग उत्तरदायी नही होगी।

4. पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराये गये वाहन चालकों को अनुमोदित न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य अनुमोदित शुल्क का भुगतान प्रत्येक दशा में करना होगा। यदि किसी वाहन चालक को भुगतान नही हो रहा है, तो ऐसी दशा में एजेन्सी/फर्म के साथ किया गया दर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
5. सेवा प्रदाता फर्म/संस्था को वाहन चालकों की सेवाओं के सापेक्ष पशुपालन विभाग द्वारा वैधानिक दायित्वों यथा–पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं सेवाकर आदि के अन्तर्गत भुगतान की गई धनराशि को सम्बन्धित सरकारी खाते में नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा तथा जमा की गई धनराशि के रसीद की स्वप्रमाणित प्रति एवं तत्सापेक्ष समय–समय पर दाखिल रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति भी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. यदि वाहन चालक कार्य अवधि में किसी लागू कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है अथवा किसी व्यक्ति के चोटिल होने पर या किसी प्रकार के प्रदर्शन कर रही भीड़ से चालक के चोटिल होने पर, न्यायालय में वाद, विधिक तथा मेडिकल एवं वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता फर्म संस्था का होगा। इसके लिये पशुपालन विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नही होगा। फर्म के सम्बन्धित वाहन चालक के उक्त कृत्य के सम्बन्ध में फर्म द्वारा तद्विषयक यदि कोई कार्यवाही पूर्ण नही की जाती एवं किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के निष्पादन एवं अन्य रक्षात्मक कार्यवाही/जुर्माना के समक्ष विभाग द्वारा यदि कोई धनराशि व्यय की जाती है तो उक्त धनराशि का फर्म को भुगतान की जाने वाली धनराशि अथवा जमानत की धनराशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
7. किसी दुर्घटना में घायल/मृत्यु होने की दशा में वर्कमैन कम्पनशेसन एक्ट–VIII, 1923 एवं समय–समय पर लागू संशोधनों के अन्तर्गत यदि किसी कम्पनशेसन आदि पर व्यय की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता फर्म/एजेन्सी का होगा। पशुपालन विभाग इसके लिये उत्तरदायी नही होगा। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत को यह अधिकार होगा कि उक्त कम्पनशेसन अथवा उससे सम्बन्धित मुकदमें के खर्च के भुगतान की यदि विभाग पर किसी प्रकार से स्थिति उत्पन्न होती है तो विभाग द्वारा उक्त भुगतान का समायोजन एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली धनराशि से कर लिया जायेगा। उक्त भुगतान हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता होने पर एजेन्सी से अतिरिक्त धनराशि की वसूली की जायेगी। इस धारा के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के निस्तारण हेतु मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत का निर्णय अन्तिम होगा।
8. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा नियुक्त किये गये वाहन चालक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल पुलिस रिकार्ड एवं अपराधिक मामला दर्ज न हो। सेवा प्रदाता एजेन्सी को नियोजित होने वाले वाहन चालक के सम्बन्ध में एक शपथ पत्र देना होगा कि कार्य अवधि में किसी प्रकार का मद्यपान नही करेगा।

9. सेवा प्रदाता एजेन्सी को अनुबन्ध पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि संदर्भित कार्य के लिए उपलब्ध कराये गये वाहन चालक किसी भी दशा में पशुपालन विभाग में कार्यरत दैनिक, अस्थायी, नियमित/स्थायी कार्मिकों की भांति उक्त कार्य के समक्ष सेवायोजन, वेतन, भत्ते एवं अन्य अनुमन्य सुविधाओं की मांग अनुबन्ध अवधि अथवा अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात नही करेगा। इस हेतु चालक की स्वघोषणा रू0 100.00 के नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर उपलब्ध कराने का दायित्व सेवा प्रदाता एजेन्सी का होगा।
10. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत को प्रश्नगत अनुबन्ध को समाप्त करने अथवा विस्तार करने का अधिकारी होगा। साथ ही (अ) अनुबन्ध निस्पादित होने की तिथि से उक्त वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च तक वैध होगा। (ब) अनुबन्ध उक्त नियमों एवं शर्तों पर ही विशेष परिस्थिति में अधिकतम 03 माह तक विस्तारित किया जा सकेगा।
11. अनुबन्ध अवधि के मध्य किसी भी स्थिति में अनुबन्ध की शर्तों के उलंघन करने पर फर्म/एजेन्सी के जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. कार्यावधि में वाहन चालक की लापरवाही/अन्य किसी शिथिलता के कारण वाहन के चोरी होने की दशा में वाहन के मूल्य के बराबर धनराशि सेवा प्रदाता एजेन्सी से वसूली जायेगी।

8. कटौती

सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप वाहन चालकों की व्यवस्था करने में विफल/अयोग्य हो जाने की दशा में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद बागपत को अर्नेस्ट मनी/जमानत की धनराशि की कटौती उसी लागत के अनुरूप किये जाने का अधिकार होगा।

9. आरवीट्रेषन

यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनरूप कार्यवाही किये जाने के सापेक्ष किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण सम्बन्धित जनपद के मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग को संदर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

10. न्यायिक क्षेत्र

न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सक्षम न्यायालय, सम्बन्धित जनपद बागपत होगा।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
जनपद बागपत

TECHNICAL BID (PART-I)

(For Manpower Outsourcing Services)

S.No.	Parameter	To be filled up by the Bidder	Remark
01	Name of the Agency/Bidder with address, telephone fax no. & name of the Principal Officer		
02	The Agency/Bidder/Firm shall registered since last 3 years. Under:- -PF Act, -ESI Act, -Labour Act, -Shop & Establishment Act, & have minimum 50 (Fifty) employees on its roll during last three years. Documentary proofs like Certification and payment proofs for above should be enclosed.		
03	Firm shall provide income tax Permanent Number/Latest Income Tax Clearance Certificate of the Agency may be provided. (Copy to be enclosed) and also submit the Service tax Details (Copies to be enclosed)		
04	Cost of the Tender Document (Bank Draft/Cash Receipt of Rs. 500/-)		
05	Details of Earnest Money Deposit Demand Draft number with Bank details for an amount of Rs. 25,000.00 (Rs. Twenty Five Thousand Only)		
06	Agency/organization must be registered with the Competent Authorities (Copies of Registration & By-laws etc. to be enclosed)		
07	Agency/organization should have experuebce if minimum 3 years of working with State/Central government/PSU,s as Manpower recruitment agency/Manpower outsourcing agency.		
08	Agency must have experience in deploying and handling multi-disciplinary manpower at District/Block level with cumulative minimum of 50 manpower each year in last three years.		

S.No.	Parameter	To be filled up by the Bidder	Remark
09	Agency/organization must have minimum total Yearly turnover of Rs. 50.00 lakh in the last three Financial years (FY-2014-15, FY-2015-16 and FY-2016-17) each. (Attach copy of audited Financial Statements of the relevant years). Attached CA certified copy of turnover.		
10	The bidders must have executed at least one single or more than one order/contract consisting of 50(Fifty) Manpower in any state Govt./Central Govt./PSU,s since last three Completion certificate must be attached.		
11	Declaratin on Rs. 100/- Non Judicial Stamp Paper As per Clause No. 9 of Technical Eligibility (Part-1).		

Decleration

I have read and understood the terms & Conditions of the tender documents and I am in agreement with them and also declare to adhere with them. Information furnished in the Tender duly submitted by me are true to the best of my knowledge and I am solely responsible for the said information. If at any stage, before or after the contract to be done on the basis of above information, said information are found misleading or wrong, I may be prosecuted under the rules prevalent along with termination of the above contract forthwith.

Date:-

Signature of the Agency/Bidder with

Seal ____________________________

Address

Telephone. Fax no.

FINANCIAL BID (PART-II)

(For Manpower Outsourcing Services)

S.No.	Particlrs	To be filled by Bidder	
01	Name of the Bidder/Agency with address		
02	Details of wages Structure & CTC (Cost to Company), the bidder will claim as Administrative charges etc.	**Perticulars**	**Per Driver Monthly Wage Rate (In Rs.)**
		Wages	
		E.P.F.	
		E.S.I.	
		All Other Taxes as Applicable	
		Other Charges – (Service Charge)	
		Total	

<u>Decleration</u>

It is certified that rate quoted in the Financial Bid is in conformity with prevailing market rate and is the lowest as I have ever quoted anywhere else. If at any stage/point of time, during the currency of the contract made on basis of the above quoted rate, I charge lower rate for similar services than above quoted rate to any other institution/firm/person, the same will be informed to the department of animal husbandry, U.P. immediately by me, and thereby the same lower rate will be charged from date of charging the above mentioned lower rate.

Date:-

Signature of the Agency/Bidder with

Seal ____________________________

Address

Telephone. Fax no.